

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान
दावा संख्या 02/23

दायरा दिनांक 24.01.2023

पीठासीन अधिकारी - श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)
रामकली पुत्री काशीराम उम्र 62 वर्ष जाति खंगार निवासी मामोनी तहसील शाहाबाद
जिला-बारां राज0 वादी

बनाम
1-हरगोविन्द पुत्र काशीलाल उर्फ काशीराम जाति खंगार निवासी बांसखेडामाल
तहसील शाहाबाद जिला-बारां राज0
2-मेवा पुत्री काशीराम पत्नि जगदीश जाति खंगार निवासी मामोनी तहसील शाहाबाद
जिला-बारां राज0
3-गुलाबी पत्नि काशीलाल उर्फ काशीराम जाति खंगार निवासी मामोनी तहसील
शाहाबाद जिला-बारां राज0
3-स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
प्रतिवादीगण

वाद वास्ते विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट
अंतिम निर्णय दिनांक- 12.06.2025

उपस्थित
वादी की ओर से - श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से - एकपक्षीय

उक्त उनवानी वाद को इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.05.2024 से स्वीकार
किया जाकर विवादित आराजी ख0नं0 31/510 रकबा 7.15 बीघा ग्राम बांसखेडामाल
तथा आराजी ख0नं0 61/1 रकबा 3.15 बीघा, ख0नं0 173/58 रकबा 1.14 बीघा,
ख0नं0 174/60 रकबा 0.10 बीघा कित्ता 3 कुल रकबा 5.19 बीघा ग्राम बालापुरा
तहसील शाहाबाद में से वादी हिस्सा 1/4 का विभाजन स्वीकार किया जाकर
की गई थी। जिसकी पालना में दिनांक 11.06.2025 को तहसीलदार शाहाबाद द्वारा
विभाजन प्रस्ताव पेश किया, जिसे वकील वादी को पढकर सुनाया गया तो वकील वादी
ने स्वीकार कर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। तहसीलदार शाहाबाद द्वारा प्रस्तुत
विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार है-

ग्राम बांसखेडामाल

क.सं. काश्तकार का नाम
1-रामकली पुत्री काशीलाल कोम खंगार
सा.देह नामा. नं. 1015

ख.सं. रकबा किस्म लगान
31/510 1.19 बीघा बा.च.

क.सं. काश्तकार का नाम
2-हरगोविन्द पुत्र काशीलाल मेवा पुत्री
काशीलाल गुलाबी पत्नि स्व. काशीलाल
कोम खंगार सा0 देह नाम.नं. 1015

ख.सं. रकबा किस्म लगान
31/510 5.16 बीघा बा.च.



ग्राम बालापुरा
क.सं.

काश्तकार का नाम

ख.सं. रकबा किस्म लगान

12-06-2025
उपखण्ड अधिकारी
जिला बारां (राज.)

1-रामकली पुत्री काशीलाल कोम खंगार
सा.देह नामा. नं. 1015

61/1 0.19 बीघा बा.च.
पश्चिमी
173/58 0.08 बीघा बा.च.
पश्चिमी
174/60 0.03 बीघा बा.च.
पश्चिमी

किता 3 रकबा 1.10 बीघा

क्र.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	रकबा	किस्म	लगान
2-	हरगोविन्द पुत्र काशीलाल मेवा पुत्री काशीलाल गुलबी पत्नि स्व. काशीलाल कोम खंगार सा0 देह नाम.नं. 1015	61/1 पूर्वी	2.16 बीघा	बा.च.	
		173/58 पूर्वी	1.06 बीघा	बा.च.	
		174/60 पूर्वी	0.07 बीघा	बा.च.	

किता 3 रकबा 4.09 बीघा

अतः तहसीलदार शाहाबाद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ख0नं0 31/510 रकबा 7.15 बीघा ग्राम बांसखेडामाल तथा आराजी ख0नं0 61/1 रकबा 3.15 बीघा, ख0नं0 173/58 रकबा 1.14 बीघा, ख0नं0 174/60 रकबा 0.10 बीघा किता 3 कुल रकबा 5.19 बीघा ग्राम बालापुра तहसील शाहाबाद में से वादी हिस्सा 1/4 का उपरोक्तानुसार अनुसार विभाजन किया जाता है, उपरोक्तानुसार वादी का प्रथक खाता कायम कर तरमीम की जावे। वादी को विभाजित हिस्सा 1/4 पर दखल दिया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के विभाजित हिस्सा कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करें। पालनार्थ तहसीलदार शाहाबाद को लिखा जावे। अंतिम डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

12/06/2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद